DAINIK JAGRAN, Delhi, 2.3.2025
Page No. 5, Size:(6.95)cms X (7.91)cms.

पुलिस उपायुक्त को देना होगा डाक्टर को 50 हजार रुपये का मुआवजा : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के पुलिस को प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर एक डाक्टर को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने के निर्देश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने पुलिस के खिलाफ एनएचआरसी के निर्देश को बरकरार रखते हुए कहा कि शिकायतकर्ता डा. कुमार का बयान, जिसमें कहा गया था कि वह मामले को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं, गलत प्रतीत होता है।

हाई कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक नहीं है कि शिकायतकर्ता का बयान उसी अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा, जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई है। एनएचआरसी में उनकी शिकायत के संबंध में डा. कुमार का बयान दर्ज करने के लिए संबंधित दोषी अधिकारी की कार्रवाई, एनएचआरसी को प्रस्तुत की गई शिकायत के परिणामों को दरकिनार करने के लिए एक स्वार्थी दोषमुक्ति बयान प्राप्त करने के प्रयास से कम नहीं है।

- हाई कोर्ट ने एनएचआरसी के मुआवजा देने के आदेश को रखा बरकरार
- प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुआवजा देने का जारी किया गया था आदेश

पुलिस आयुक्त ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत 13 मई, 2023 को दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को जारी कारण बताओ नोटिस को भी चुनौती दी थी। नवंबर 2021 में, डाक्टर ने एनएचआरसी को एक शिकायत दी थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ बदमाशों ने उनके क्लिनिक में अवैध रूप से घुसपैठ की और उनकी महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा था कि पीसीआर को काल करने के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने में विफल रही।

शिकायत का संज्ञान लेते हुए, एनएचआरसी ने दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को चार सप्ताह के भीतर एक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। एटीआर में उल्लिखित पुलिस ने जांच के दौरान पाया था कि डाक्टर ने एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से ऋण लिया था और कोविड महामारी के कारण भुगतान नहीं कर सके थे। इसके बाद कंपनी के पांच लोग वसूली के लिए क्लिनिक पहुंचे। यह देखते हुए कि ऋण से संबंधित निपटान बाद में किया गया था, पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ता इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था।

एनएचआरसी ने सबसे पहले 19 फरवरी, 2023 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें पुलिस आयुक्त को यह बताने का निर्देश दिया गया कि उन्हें एफआइआर दर्ज नहीं करने के लिए शिकायतकर्ता डा. नीरज कुमार को मुआवजे के रूप में 50 हजार रुपये का भुगतान करने के लिए क्यों न उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

TIMES OF INDIA, Jaipur, 2.3.2025
Page No. 3, Size:(10.90)cms X (10.69)cms.

NHRC team meets victims, their families in Bijaynagar

TIMES NEWS NETWORK

Bhilwara: A team from National Human Rights Commission (NHRC) visited Bijaynagar town of Beawar district Saturday and met the families of the schoolgirls who allegedly faced sexual abuse by men from a minority community. "We came here to meet the victims and assess what help they had received so far and what more is needed. We also assessed the facts of the entire incident. We spoke with the victims' families, their teachers and school administrators. We instructed that the girls' education be resumed immediately with alternative arrangements starting today," said NHRC member **Priyank Kanungo**, adding that the victims can be allowed change of school if they so wish.

He also held a meeting with administrative officials on the municipal premises and issued necessary guidelines. He also assured of all possible assistance to the families of the victims. Since three accused are reported as minors, the NHRC team requested home study arrangements for them.

"We have requested financial assistance for the victims' families from the administration. I am satisfied that the Masuda SDM has assured an immediate grant of Rs 20,000 for each victim's family. We learnt that the girls lacked a proper mechanism to file complaints. It is possible that more girls were affected but unable to come forward. We instructed that complaint boxes be placed in schools and exam centres for the next month and daily checks be conducted for any complaints received," said Kanungo. He appealed to the public and all schoolgirls to use those boxes anonymously, if needed.

DAINIK BHASKAR, Ajmer, 2.3.2025
Page No. 2, Size:(26.43)cms X (8.20)cms.

सहायता नहीं देने पर मानवाधिकार आयोग सदस्य नाराज, बाल अपचारियों पर केस वयस्कों की तरह चलेगा

अजमेर | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बिजयनगर ब्लैकमेल कांड को अजमेर ब्लैकमेल कांड-92 की पुनरावृति माना है। उन्होंने शनिवार को बिजयनगर पहुंच कर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों से मामले में अब तक हुई कार्रवाई का फीड बैक लिया। उन्होंने पीड़िताओं और उनके परिजनों से भी बातचीत की। कानूनगो ने कहा कि स्कूली छात्राओं को ब्लैकमेल और धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अभी तक पीड़िताओं को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं दी गई थी, जबकि उन्हें तुरंत राहत मिलनी चाहिए थी। प्रशासन ने प्रत्येक पीड़िता को 20-20 हजार रुपए देने की व्यवस्था की। कानूनगों का कहना है कि मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 13 आरोपियों को पकड़ा है। और गिरफ्तारियां भी संभव हैं। आयोग सदस्य के साथ बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अंजली शर्मा भी थीं। उन्होंने बताया कि पीड़ित छात्राओं से शनिवार को भी बातचीत की गई। पीड़िताओं ने कुछ नए आरोपियों के नाम बताए, जिनकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस को शक है कि यह मामला एक सुनियोजित गिरोह का हिस्सा हो सकता है, जो लड़कियों को ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा था। आयोग सदस्य ने अधिकारियों की बैठक में पीड़ित छात्राओं की पढ़ाई दोबारा शुरू करवाने के कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। **नाबालिग आरोपियों पर वयस्कों की तरह होगी कार्यवाहीः** आयोग सदस्य कानूनगो ने कहा कि मामले में शामिल नाबालिग आरोपियों के खिलाफ वयस्कों की तरह ट्रायल किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके लिए जिला प्रशासन आवश्यक कार्यवाही करेगा। **घटना ग्रूमिंग विंग का हिस्साः** कानूनगो ने बताया कि जांच के आधार पर माना जा सकता है कि यह घटना "ग्रूमिंग विंग" का हिस्सा है। सुनियोजित तरीके से हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते हैं।

जेजे कोर्ट डीजे या पॉक्सो कोर्ट को भेज सकता है मामला

भास्कर एक्सपर्ट

प्रकाश चंद मीणा,
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं किशोर न्याय बोर्ड के पूर्व सदस्य

16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया कांड के बाद किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम 2015 इसलिए बनाया गया था कि 16 से 18 वर्ष की उम्र वाले नाबालिग जघन्य अपराध कर रहे हैं। उसे रोकने के लिए 16 से 18 वर्ष के बालक, बालिकाओं जिसने 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध कारित किए हैं को धारा 15 जेजे एक्ट के तहत जांच कर किशोर न्याय बोर्ड मामले को जिला न्यायाधीश, पॉक्सो न्यायाधीश को ट्रायल हेतु प्रेषित कर सकता है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 16 से 18 वर्ष के नाबालिग द्वारा किए गए अपराध में 40% की वृद्धि हुई है। किशोर न्याय बोर्ड संशोधित अधिनियम 2021 पारित किया जिसके तहत अब 16 से 18 वर्ष या घटना के समय 3 माह के अंतराल और गंभीर अपराधों में भी धारा 15 की जांच अति आवश्यक है। नाबालिग आरोपियों के अपराध करने की शारीरिक, मानसिक क्षमता, अपराध की परिस्थितियां, अपराध को बार-बार करना, अपराध को समझने की क्षमता विश्लेषण किया जाता है।

RAJASTHAN PATRIKA, Bhopal, 2.3.2025
Page No. 04, Size:(11.67)cms X (5.87)cms.

मानव अधिकार आयोग सख्त...'महिलाओं की सर्जरी की तस्वीरें अपलोड करना गरिमा का उल्लंघन'

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. आयुष्मान भारत योजना के तहतइलाज और ऑपरेशन कराने वाली महिलाओं की तस्वीर पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और आयुष्मान भारत के सीईओ को नोटिस भेजकर 7 दिन में जवाब तलब किया है। आयोग ने अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि योजना में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसे अनिवार्य बताकर महिला मरीजों के निजी अंगों की तस्वीरें अपलोड की जाएं। यह बेहद परेशान करने वाला कृत्य है। मरीजों की गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन है। उधर, निजता का उल्लंघन इसलिए है क्योंकि आयुष्मान के पोर्टल पर फोटो अपलोड होने से पहले 4-5 हाथों से गुजरती है। ऐसे में इनके सार्वजनिक होने का खतरा रहता है।

यह अनैतिक-अवैध

आयोग ने कहा, महिला मरीजों की सर्जरी पार्ट की तस्वीर से छेड़छाड़ हो सकती है। यह गंभीर है। यह कृत्य गंभीर और मरीजों की गरिमा के खिलाफ है। अनैतिक और अवैध है।

यह है मामला

असल में यहां आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के सर्जरी पार्ट की तस्वीरें ली जाती है। इन तस्वीरों को आयुष्मान के ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इनमें महिला के कंधे का ऑपरेशन, ब्रेस्ट सर्जरी, महिला की किडनी का ऑपरेशन इत्यादि की तस्वीरें भी शामिल हैं। आयुष्मान क्लेम पास कराने के लिए इन फोटो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

RAJASTHAN PATRIKA, Indore, 2.3.2025
Page No. 01, Size:(8.20)cms X (6.69)cms.

स्वास्थ्य विभाग के एसीएस-पीएस, 'आयुष्मान' के सीईओ से मांगा जवाब

महिलाओं की सर्जरी की तस्वीरें अपलोड करने पर मानव अधिकार आयोग सख्त

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज और ऑपरेशन कराने वाली महिलाओं की तस्वीर पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और आयुष्मान भारत के सीईओ को नोटिस भेजकर 7 दिन में जवाब तलब किया है। आयोग ने अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि योजना में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसे अनिवार्य बताकर महिला मरीजों के निजी अंगों की तस्वीरें अपलोड की जाएं। यह बेहद परेशान करने वाला कृत्य है। मरीजों की गोपनीयता और गरिमा का स्पष्ट उल्लंघन है। यह अनैतिक और अवैध है। उधर, निजता का उल्लंघन इसलिए है क्योंकि आयुष्मान के पोर्टल पर फोटो अपलोड होने से पहले कम से कम 4-5 हाथों से गुजरती है। ऐसे में इनके सार्वजनिक होने का खतरा रहता है।

यह है मामला

असल में यहां आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के सर्जरी पार्ट की तस्वीरें ली जाती है। इन तस्वीरों को आयुष्मान के ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इनमें महिला के कंधे का ऑपरेशन, ब्रेस्ट सर्जरी, महिला की किडनी का ऑपरेशन इत्यादि की तस्वीरें भी शामिल हैं। आयुष्मान क्लेम पास कराने के लिए इन फोटो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

ABP News

Tension Grips Ajmer Over 'Conversion' Of Schoolgirls. Traders Call Bandh, NHRC Members Meet Victims

The NHRC members met with the victims and announced compensation of Rs 20,000.

https://news.abplive.com/cities/ajmer-bandh-news-tension-in-city-over-conversion-of-schoolgirls-traders-call-bandh-nhrc-members-meet-victims-1754810

By : ABP News Bureau | Updated at : 01 Mar 2025 11:22 PM (IST)

NHRC member Priyank Kanoongo visits Ajmer to meet the victims.

Source : PTI

Tension gripped Ajmer city in Rajasthan over reports of alleged blackmailing and conversion of schoolgirls. Security in the city was beefed up while traders called a bandh to protest against the incident. Members of National Human Rights Commission (NHRC) also visited the city and met with the victims.

Several organisations called a bandh to protest against the alleged blackmailing and conversion of the schoolgirls. The markets in the city wore a deserted look as traders shut their shops and hit the streets in protest, according to NDTV.

The city's main markets, commercial establishments, malls, petrol pumps, and public transportation services were also affected during the bandh.

The international market at the Khwaja Garib Nawaz Dargah in Ajmer was also completely closed. Members of the Dargah Khadim community condemned the act and demanded strict action against the culprits.

Representatives of the Khadim community said that they were satisfied with the actions being taken by the police and emphasised the need for severe punishment for the offenders.

Police personnel have been deployed in large numbers to maintain law and order. The police remained especially vigilant in the Dargah market and surrounding areas to prevent any untoward incidents.

NHRC Members Visit Ajmer

National Human Rights Commission member Priyank Kanoongo reached Ajmer, Rajasthan on Sunday amid reports of alleged blackmail and conversion of schoolgirls.

Anjali Sharma, Chairperson of the Child Welfare Committee, Ajmer said the committee met with NHRC representatives and the children were counselled.

“In the Bijaynagar case, we met with the NHRC representatives who visited today. The children were already counselled, but another round of discussions took place," she said while speaking to reporters.

"We have written to the SDM for immediate assistance of Rs 20,000 and requested that the girls be admitted to a good hostel after 10th grade. These were the key issues discussed," she added.

Kanoongo said that the NHRC members met with the victimised children adding it was necessary for them to receive compensation.

"The process for compensation had not started until now. When we inquired with the administration, they announced compensation of Rs 20,000 in our presence," he said.

"The accused, who are being claimed as minors, will be tried as adults, and the district administration will proceed under Section 15 of the Juvenile Justice Act. This case involves a whole grooming gang operating in an organised way, targeting girls from one community for sexual abuse,” he added.

Times of India

NHRC team meets victims, their families in Bijaynagar

https://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/nhrc-team-meets-victims-their-families-in-bijaynagar/articleshow/118654349.cms

TNN | Mar 2, 2025, 12.59 AM IST

Bhilwara: A team from National Human Rights Commission (NHRC) visited Bijaynagar town of Beawar district Saturday and met the families of the schoolgirls who allegedly faced sexual abuse by men from a minority community. "We came here to meet the victims and assess what help they had received so far and what more is needed. We also assessed the facts of the entire incident. We spoke with the victims' families, their teachers and school administrators. We instructed that the girls' education be resumed immediately with alternative arrangements starting today," said NHRC member Priyank Kanungo, adding that the victims can be allowed change of school if they so wish.

He also held a meeting with administrative officials on the municipal premises and issued necessary guidelines. He also assured of all possible assistance to the families of the victims. Since three accused are reported as minors, the NHRC team requested home study arrangements for them.

"We have requested financial assistance for the victims' families from the administration. I am satisfied that the Masuda SDM has assured an immediate grant of Rs 20,000 for each victim's family. We learnt that the girls lacked a proper mechanism to file complaints. It is possible that more girls were affected but unable to come forward. We instructed that complaint boxes be placed in schools and exam centres for the next month and daily checks be conducted for any complaints received," said Kanungo. He appealed to the public and all schoolgirls to use those boxes anonymously, if needed.

Dainik Bhaskar

बिजयनगर ब्लैकमेल कांड : सहायता नहीं मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य नाराज

https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/ajmer/news/bijaynagar-blackmail-case-national-human-rights-commission-member-angry-over-not-getting-help-134565483.html

बाल अपचारियों पर वयस्कों की तरह कार्रवाई होगी, प्रशासन ने 20-20 हजार रुपए दिए

नाबालिग आरोपियों की इसलिए हो सकती है बालिगों की तरफ कोर्ट में ट्रॉयल: प्रकाश चंद मीणा, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं किशोर न्याय बोर्ड के पूर्व सदस्य 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया कांड के बाद किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम 2015 इसलिए बनाया गया था कि 16 से 18 वर्ष की उम्र वाले नाबालिग जघन्य अपराध कर रहे हैं।

उसे रोकने के लिए 16 से 18 वर्ष के बालक, बालिकाओं जिसने 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध कारित किए हैं को धारा 15 जेजे एक्ट के तहत जांच कर किशोर न्याय बोर्ड मामले को जिला न्यायाधीश, पॉक्सो न्यायाधीश को ट्रायल हेतु प्रेषित कर सकता है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 16 से 18 वर्ष के नाबालिग द्वारा किए गए अपराध में 40% की वृद्धि हुई है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेकर किशोर न्याय बोर्ड संशोधित अधिनियम 2021 पारित किया जिसके तहत अब 16 से 18 वर्ष या घटना के समय 3 माह के अंतराल और गंभीर अपराधों में भी धारा 15 की जांच अति आवश्यक है। प्रकरण के सभी तथ्य पुलिस प्रशासन व समाज कल्याण विभाग द्वारा एकत्रित कर पेश किए जाते हैं। इसके आधार पर किशोर न्याय बोर्ड की ओर से नाबालिग को व्यस्क की तरह ट्रायल के लिए भेजे की कार्रवाई की जाती है।

नाबालिग आरोपियों के मामले में उनके अपराध करने की शारीरिक, मानसिक क्षमता, अपराध की परिस्थितियां, अपराध को बार-बार करना, अपराध को समझने की क्षमता, ब्लैकमेल और पॉक्सो से संबंधित अपराध के बारे में बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। क्राइम रिपोर्टर| अजमेर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बिजयनगर ब्लैकमेल कांड को अजमेर ब्लैकमेल कांड-92 की पुनरावृति माना है। उन्होंने शनिवार को बिजयनगर पहुंच कर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों से मामले में अब तक हुई कार्रवाई का फीड बैक लिया। उन्होंने पीड़िताओं और उनके परिजनों से भी बातचीत की। कानूनगो ने कहा है कि स्कूली छात्राओं को ब्लैकमेल किए जाने और धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अभी तक पीड़िताओं को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं दी गई थी, जबकि उन्हें तुरंत राहत मिलनी चाहिए थी। इस पर प्रशासन के अधिकारियों ने प्रत्येक पीड़िता को 20-20 हजार रुपए देने की व्यवस्था की। कानूनगों का कहना है कि मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 13 आरोपियों को पकड़ा है, कुछ और आरोपियों के नाम सामने आए हैं। जांच के बाद इनकी गिरफ्तारियां भी संभव हैं।

इस मौके पर आयोग सदस्य के साथ बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अंजली शर्मा भी मौजूद थीं। उन्होंने बताया कि पीड़ित छात्राओं की पहले भी काउंसलिंग की गई थी और शनिवार को भी उनसे बातचीत की गई। पीड़िताओं ने कुछ नए आरोपियों के नाम बताए, जिनकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है।

पुलिस को शक है कि यह मामला एक सुनियोजित गिरोह का हिस्सा हो सकता है, जो लड़कियों को ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा था। पीड़िताओं की पढ़ाई दोबारा शुरू होगी आयोग सदस्य ने अधिकारियों की बैठक में पीड़ित छात्राओं की पढ़ाई दोबारा शुरू करवाने के कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दलित पीड़ित छात्रा को कानून के तहत त्वरित आर्थिक मदद मिलनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं मिली। आयोग सदस्य कानूनगो ने कहा कि मामले में शामिल नाबालिग आरोपियों के खिलाफ वयस्कों की तरह ट्रायल किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

आयोग सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बताया कि जांच के आधार पर माना जा सकता है कि यह घटना "ग्रूमिंग विंग" का हिस्सा है, ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी सुनियोजित तरीके से हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते थे। आयोग सदस्य ने पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई पर संतुष्टि जाहिर की, लेकिन आगे की जांच में तेजी लाने पर भी जोर दिया। मामले में मानवाधिकार आयोग की नजर रहेगी।

Hindu Post

Religious conversion case exposed in Raebareli: Two Christian missionaries arrested, accused of luring children and inciting against Sanatan Dharma; NHRC seeks report from administration

https://hindupost.in/society-culture/religious-conversion-case-exposed-in-raebareli-two-christian-missionaries-arrested-accused-of-luring-children-and-inciting-against-sanatan-dharma-nhrc-seeks-report-from-administration/

March 1, 2025

A case of religious conversion has come to light in the Mill Area police station area of Raebareli. The police have arrested two people in this case. A prayer place was built by people associated with Christian missionaries in Sandi Nagin area.

According to local sources, about 50-60 children were called to this place daily. It is alleged that the children were instigated against Sanatan Dharma and Christianity was said to be superior.

When Hindu organizations came to know about the matter, shocking scenes came to light during a raid conducted with the police. Here, small Hindu children are being taught the miracles of Christianity in separate classrooms while filling them with hatred towards Sanatan Dharma. The police have taken Vijay Singh and a woman named Sandhya, who were involved in religious conversion, into custody and are interrogating them.

The police raided the place on the information provided by Hindu organizations. Investigation revealed that children were being taught about Christianity in different rooms built in the prayer place. According to police officials, interrogation of both the accused is going on. Seeing the seriousness of the case, the police has intensified the action. The local administration is keeping a close watch on such activities.

Based on the complaint, the police registered a case against Vijay Singh (Christian pastor), son of Rajkumar Singh, resident of village Sandi Nagin, police station Mill Area, Raebareli, Sandhya, daughter of unknown, resident of Kewai, police station Fursatganj, district Amethi and Sushma, daughter of Ramfer, resident of village Dighia, police station Mill Area, Raebareli.

NHRC seeks report from district administration

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken a tough stand on the issue of predatory conversion of school children to Christianity in Rae Bareli. The Commission has sought a report from the District Officer and Superintendent of Police within 10 days.

Agni Samaj Sangathan had filed a complaint with NHRC. In the complaint, it was stated that people associated with Christian missionary organizations are motivating about 50-60 children from Hindu families to convert to Christianity. Children are being lured with toffees, biscuits and chocolates.

The complaint made to NHRC by a Hindu organization named, Agni Samaj

NHRC has considered this a violation of the fundamental rights of children. The commission has also sent information about this matter to the Chief Secretary and Director General of Police of Uttar Pradesh.

NHRC's correspondence with the District Magistrate (DM) and Superintendent of Police (SP) seeking immediate action in this case.

Agni Samaj founder Sanjeev Never said that this is an organized attack on innocent children. He said that the innocence of children is being exploited. The organization has demanded strict action against the culprits. Agni Samaj is running a campaign against illegal conversion across the country. This case of Raebareli is an example of the unethical strategies of Christian missionary groups.

The case is related to Sandi Nagin under the Mill Area Police Station area of Raebareli. After the video went viral on social media, many organizations took cognizance of the matter and demanded action. Due to which Raebareli Superintendent of Police Dr. Yashveer Singh has given instructions in the case of conversion and arrested the accused Vijay Singh along with a woman. The Mill Area Police Station reached the spot and closed the school completely.

Amar Ujala

Rajasthan: प्रियांक कानूनगो ने स्कूली छात्राओं के ब्लैकमेल और धर्मांतरण मामले का लिया फीडबैक, कही ये बड़ी बात

https://www.amarujala.com/rajasthan/ajmer/rajasthan-priyank-kanungo-took-feedback-on-blackmail-and-conversion-case-of-school-girls-in-ajmer-beawar-2025-03-01

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर Published by: अरविंद कुमार Updated Sat, 01 Mar 2025 05:23 PM IST

सार

अजमेर

Bijainagar Blackmail Scandal: NHRC सदस्य प्रियांक कानूनगो ने स्कूली छात्राओं के ब्लैकमेल और धर्मांतरण मामले का फीडबैक लिया। उन्होंने पीड़ित बच्चियों से बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली।

विस्तार

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो बिजयनगर पहुंचे और स्कूली छात्राओं के ब्लैकमेल व धर्मांतरण के गंभीर मामले की जांच की। उन्होंने पीड़ित बच्चियों से बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली और अब तक की गई कार्रवाई का फीडबैक लिया।

प्रियंक कानूनगो ने बताया कि अभी तक पीड़िताओं को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं दी गई, जबकि उन्हें तुरंत राहत मिलनी चाहिए थी। इस पर पुलिस प्रशासन ने प्रत्येक पीड़िता को 20-20 हजार रुपये देने की बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि मामले में कुछ और आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिन पर जल्द ही कार्रवाई होगी और अन्य गिरफ्तारियां भी संभव हैं।

आयोग ने पीड़िताओं की पढ़ाई जारी रखने के दिए निर्देश

बैठक में पीड़ितों और उनके परिजनों से भी बातचीत की गई, जिसमें छात्राओं की पढ़ाई दोबारा शुरू करवाने को प्राथमिकता दी गई। इस संबंध में जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए। प्रियांक कानूनगो ने कहा कि दलित पीड़ित छात्राओं को कानून के तहत आर्थिक मदद मिलनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं मिली। इसे लेकर उन्होंने तुरंत राहत राशि जारी करने के निर्देश दिए। मामले में शामिल नाबालिग आरोपियों के खिलाफ वयस्कों की तरह ट्रायल किए जाने की बात भी कही गई। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा जूनाइल जस्टिस बोर्ड में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

हिंदू छात्राओं को बनाया गया था निशाना

प्रियंक कानूनगो ने यह भी कहा कि जांच में सभी आरोपी एक ही धर्म के निकले, जबकि पीड़ित बच्चियां हिंदू समुदाय से संबंधित थीं। उन्होंने इस घटना को "ग्रूमिंग विंग" का हिस्सा बताया, जो सुनियोजित तरीके से लड़कियों को निशाना बनाता है। आयोग सदस्य ने पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई पर संतुष्टि जाहिर की। लेकिन आगे की जांच में तेजी लाने पर भी जोर दिया।

मानवाधिकार आयोग की नजर बनी रहेगी

आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने पुलिस के साथ कुछ गोपनीय जानकारी साझा की और मामले में जल्द न्याय दिलाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला सामाजिक और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, इसलिए आयोग की टीम इस पर नजर बनाए रखेगी। इस मामले में पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और जल्द ही नए खुलासे हो सकते हैं। वहीं, पीड़ितों के परिवारों ने तत्काल न्याय और सुरक्षा की मांग की है।

नए आरोपियों के नाम आए सामने

बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अंजली शर्मा ने बताया कि पीड़ित छात्राओं की पहले भी काउंसलिंग की गई थी और आज भी उनसे बातचीत की गई। इस दौरान पीड़िताओं ने कुछ नए आरोपियों के नाम बताए, जिनकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस को शक है कि यह एक सुनियोजित गिरोह का हिस्सा हो सकता है, जो लड़कियों को ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा था।

NDTV Rajasthan

Rajasthan: स्कूली लड़कियों के साथ ब्लैकमेलकांड, धर्मांतरण पर NHRC सख्त, हर पीड़िता को मिलेगी आर्थिक सहायता! नए खुलासे की उम्मीद

एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक ने कहा कि सभी आरोपी एक ही धर्म के निकले, जबकि पीड़ित बच्चियां हिंदू समुदाय से संबंधित थीं. उन्होंने इस घटना को "ग्रूमिंग विंग" का हिस्सा बताया, जो सुनियोजित तरीके से लड़कियों को निशाना बनाता है.

Reported by:पवन अटारिया

Edited by:श्यामजी तिवारी

राजस्थान न्यूज़

मार्च 01, 2025 18:38 pm IST

Published Onमार्च 01, 2025 18:33 pm IST

Last Updated Onमार्च 01, 2025 18:38 pm IST

Rajasthan News: राजस्थान में ब्यावर के बिजयनगर में स्कूली लड़कियों के साथ ब्लैकमेल कांड और धर्मांतरण मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग जांच करने पहुंची. एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो शनिवार को बिजयनगर पहुंचे और मामले की जांच की. इस दौरान उन्होंने पीड़ित बच्चियों से बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली और अब तक की गई कार्रवाई का पुलिस से फीडबैक लिया. प्रियांक ने कहा कि अभी तक पीड़िताओं को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं दी गई, जबकि उन्हें तुरंत राहत मिलनी चाहिए थे. पुलिस के मुताबिक, लड़कियों के साथ ब्लैकमेल कांड में कुछ और आरोपियों के नाम सामने आए, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.

लड़कियों ने बताए नए आरोपियों के नाम

बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अंजली शर्मा ने बताया कि पीड़ित छात्राओं की पहले भी काउंसलिंग की गई थी और आज भी उनसे बातचीत की गई. हमने एनएचआरसी के साथ प्रशासन ने प्रत्येक पीड़िता को आर्थिक सहायता देने की मांग की है. इस पर पुलिस प्रशासन ने प्रत्येक पीड़िता को 20-20 हजार रुपये देने की बात कही. पीड़िताओं ने कुछ नए आरोपियों के नाम बताए हैं, जिनकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है. पुलिस को शक है कि यह एक सुनियोजित गिरोह का हिस्सा हो सकता है, जो लड़कियों को ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा था.

बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अंजली शर्मा

बैठक में पीड़ितों और उनके परिजनों से भी बातचीत की गई, जिसमें छात्राओं की पढ़ाई दोबारा शुरू करवाने को प्राथमिकता दी गई. इस संबंध में जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए. प्रियांक कानूनगो ने कहा कि दलित पीड़ित छात्राओं को कानून के तहत आर्थिक मदद मिलनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं मिली. इसे लेकर उन्होंने तुरंत राहत राशि जारी करने के निर्देश दिए.

सुनियोजित तरीके से लड़कियों को बनाया निशाना

इस कांड के नाबालिग आरोपियों के खिलाफ वयस्कों की तरह ट्रायल किए जाने की बात भी कही गई. इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा जूनाइल जस्टिस बोर्ड में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. प्रियांक कानूनगो ने यह भी कहा कि जांच में सभी आरोपी एक ही धर्म के निकले, जबकि पीड़ित बच्चियां हिंदू समुदाय से संबंधित थीं. उन्होंने इस घटना को "ग्रूमिंग विंग" का हिस्सा बताया, जो सुनियोजित तरीके से लड़कियों को निशाना बनाता है.

NHRC सदस्य प्रियांक कानूनगो

आयोग के सदस्य ने पुलिस के साथ कुछ गोपनीय जानकारी साझा की और मामले में जल्द न्याय दिलाने की बात कही. उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला सामाजिक और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, इसलिए आयोग की टीम इस पर नजर बनाए रखेगी. पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और जल्द ही नए खुलासे हो सकते हैं. वहीं, पीड़ितों के परिवारों ने तत्काल न्याय और सुरक्षा की मांग की है.

Times of India

NHRC seeks report on plea against displacement of villagers for irrigation project

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/nhrc-seeks-report-on-plea-against-displacement-of-villagers-for-irrigation-project/articleshow/118652496.cms

Hrusikesh Mohanty / Mar 1, 2025, 22:29 IST

Berhampur: National Human Rights Commission (NHRC) has sought an action taken report (ATR) within two weeks from the state govt on a complaint alleging forceful displacement of villagers for the Chheligada multi-purpose irrigation project in Gajapati district without proper rehabilitation and compensation.
Taking up the complaint filed by human rights activist Radhakanta Tripathy, the NHRC directed the chief secretary to respond within two weeks from the date of receipt of the letter, which was issued on Feb 27.
The commission observed that the allegations levelled in the complaint are serious violations of human rights and asked the chief secretary to examine the matter and submit the report within 15 days, treating the matter as urgent.
In his petition filed before the NHRC on Feb 24, Tripathy alleged that around 4,000 people, mostly STs, were to be displaced for the Chheligada project. Around 15 villages would be affected by the project, of which five villages would be completely displaced.

He alleged the individuals were forced to leave their villages without proper rehabilitation or compensation by the govt, in violation of their fundamental rights. The move exacerbated the socio-economic vulnerabilities of the affected communities, who are struggling to access basic necessities like food, shelter, and healthcare, he added.
Tripathy sought the intervention of NHRC to safeguard the rights of the affected people. This includes investigating the situation, ensuring proper rehabilitation, consulting with affected communities in accordance with the principles of free, prior, and informed consent, and providing long-term monitoring of the rehabilitation schemes and their implementation.
Sources said over 500 families from five villages would be displaced for the over Rs 930-crore project, while 10 villages will be submerged partially. The villages to be displaced for the project are Sukuba, Tiligaon, Kakili, Chadheyapada and Bidyadharpur. Rehabilitation colonies were set up at Samantarapur, Babulibandh, Balipata, Chakundapalli in Ganjam district, and Sailanga, Ratanga and Bili Sukuba in Gajapati, they added.

Orissa Post

NHRC seeks ATR on displacement of 4,000 tribals

https://www.orissapost.com/nhrc-seeks-atr-on-displacement-of-4000-tribals/

PNN | Updated: March 1st, 2025, 08:48 IST

Kendrapara: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought an Action Taken Report (ATR) from the Chief Secretary regarding human rights violations and the displacement of over 4,000 people, mostly from Scheduled Tribe communities, due to the construction of the Chheligada Irrigation Project in the Gajapati district.

The NHRC issued the directive Thursday in response to a complaint filed by human rights defender Radhakanta Tripathy.

In his petition, Tripathy alleged that over 4,000 people, primarily from Scheduled Tribe communities, were forced to leave their villages without proper rehabilitation or compensation from the Odisha government, violating their fundamental rights.

He further stated that only 24 out of 175 displaced families have been rehabilitated, exacerbating the socio-economic vulnerabilities of the affected communities, who are struggling to access basic necessities such as food, shelter, and healthcare.

The complainant urged the apex rights body's intervention to safeguard the rights of the displaced individuals.

He called for an investigation into the matter, proper rehabilitation, consultation with affected communities in accordance with the principles of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), and long-term monitoring of rehabilitation schemes and their implementation.

The NHRC directed the Chief Secretary to examine the issue and submit a report within 15 days, treating the matter as highly urgent.

Notably, the Chheligada Medium Irrigation Project (MIP) is being constructed across the Badjhore River, a tributary of the Vamsadhara River, near the village Chheligada in the R Udayagiri block of the Gajapati district.

The multipurpose project envisages the construction of a 250m long and 30m high dam with a central spillway. Apart from irrigation for 6,000 hectares of farmlands in the Ganjam and Gajapati districts, this project will also provide drinking water to Berhampur City.

Additionally, 36 MW electricity can be produced through a mini hydro project in three places, Shiali Loti, Kankata and Dekili, in the Gajapati district.

Janta Se Rishta

एनएचआरसी ने 4,000 आदिवासियों के विस्थापन पर एटीआर मांगी

Kiran1 Mar 2025 10:44 AM Kendrapara

केंद्रपाड़ा: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गजपति जिले में छेलीगाड़ा सिंचाई परियोजना के निर्माण के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन और 4,000 से अधिक लोगों, जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं, के विस्थापन के संबंध में मुख्य सचिव से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। मानवाधिकार कार्यकर्ता राधाकांत त्रिपाठी द्वारा दायर की गई शिकायत के जवाब में एनएचआरसी ने गुरुवार को यह निर्देश जारी किया। अपनी याचिका में त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि 4,000 से अधिक लोग, जिनमें मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं, को ओडिशा सरकार से उचित पुनर्वास या मुआवजे के बिना अपने गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

उन्होंने आगे कहा कि 175 विस्थापित परिवारों में से केवल 24 का पुनर्वास किया गया है, जिससे प्रभावित समुदायों की सामाजिक-आर्थिक कमजोरियां बढ़ गई हैं, जो भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने विस्थापित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए शीर्ष अधिकार निकाय के हस्तक्षेप का आग्रह किया। उन्होंने मामले की जांच, उचित पुनर्वास, स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (एफपीआईसी) के सिद्धांतों के अनुसार प्रभावित समुदायों के साथ परामर्श और पुनर्वास योजनाओं और उनके

एनएचआरसी ने मामले को अत्यंत जरूरी मानते हुए मुख्य सचिव को इस मुद्दे की जांच करने और 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से, छेलीगाड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना (एमआईपी) का निर्माण गजपति जिले के आर उदयगिरी ब्लॉक में छेलीगाड़ा गांव के पास वामसाधारा नदी की एक सहायक नदी, बडझोर नदी पर किया जा रहा है। बहुउद्देशीय परियोजना में एक केंद्रीय स्पिलवे के साथ 250 मीटर लंबा और 30 मीटर ऊंचा बांध बनाने की परिकल्पना की गई है। गंजम और गजपति जिलों में 6,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के अलावा, यह परियोजना बरहामपुर शहर को पीने का पानी भी उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त, गजपति जिले में तीन स्थानों, शियाली लोटी, कंकटा और डेकिली में लघु जलविद्युत परियोजना के माध्यम से 36 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।

https://www.jantaserishta.com/local/jammu-and-kashmir/nhrc-seeks-atr-on-displacement-of-4000-tribals-3864435

Navbharat Times

FIR दर्ज नहीं की, दिल्ली पुलिस को देना होगा डॉक्टर को मुआवजा, क्या है मामला?

https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/delhi/crime/fir-was-not-registered-delhi-police-will-have-to-pay-compensation-to-the-doctor-what-is-the-matter/articleshow/118641135.cms

Edited byअशोक उपाध्याय | नवभारत टाइम्स1 Mar 2025, 9:29 am

दिल्ली हाई कोर्ट ने एनएचआरसी के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एफआईआर दर्ज नहीं करने पर एक सीनियर डॉक्टर को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। डॉक्टर ने एनएचआरसी को शिकायत की थी कि उनके क्लिनिक में बदमाश घुस आए और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

हाइलाइट्स

दिल्ली हाई कोर्ट ने एनएचआरसी का आदेश बरकरार रखा

डॉक्टर को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

पुलिस ने क्लीनिक में बदमाश के घुसने पर कार्रवाई नहीं की

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखा, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एफआईआर दर्ज नहीं करने पर एक सीनियर डॉक्टर को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। डॉक्टर ने नवंबर 2021 में अपने क्लीनिक में हुई एक घटना के बारे में पुलिस को शिकायत दी थी।मामला यह है कि डॉक्टर के क्लिनिक से कॉल आने पर कि कुछ बदमाश उनके यहां घुस आए हैं, पुलिस वहां पहुंची थी। क्लिनिक पहुंचने पर, जांच अधिकारी (आईओ) डॉक्टर से मिले और घटना के बारे में पूछताछ की। अगले दिन, डॉक्टर ने एनएचआरसी को एक शिकायत दी जिसमें आरोप लगाया कि कुछ बदमाश अवैध रूप से उनके क्लिनिक में घुसे और उनकी महिला कर्मचारियों के साथ अशिष्ट व्यवहार किया। उन्होंने आगे कहा कि कॉल करने के बावजूद, जांच अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि, दिल्ली पुलिस कमिश्नर (HC में याचिकाकर्ता) ने कहा कि डॉक्टर ने कोई भी लिखित शिकायत देने से इनकार कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप आईओ एफआईआर दर्ज नहीं कर सका।

एनएचआरसी ने पुलिस कमिश्नर को एफआईआर दर्ज न करने के लिए डॉक्टर को 50 हजार मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया। अपने आदेश में एनएचआरसी ने कहा था कि मेडिकल कर्मियों के खिलाफ हिंसा एक गंभीर मामला है और दिल्ली मेडिकेयर सर्विस पर्सनल और मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशन (हिंसा और संपत्ति को नुकसान की रोकथाम) अधिनियम, 2008 के तहत एक संज्ञेय अपराध है। एनएचआरसी को कमिश्नर का यह बयान भरोसा करने लायक नहीं लगा कि डॉक्टर शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहता था। जस्टिस सचिन दत्ता ने भी माना कि शिकायतकर्ता (डॉक्टर) के कथित बयान पर पुलिस कमिश्नर का जोर इस बात पर था कि वह मामले को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं था, जोकि गलत था

Bharat Express

दिल्ली हाई कोर्ट ने NHRC के आदेश को रखा बरकरार, दिल्ली पुलिस आयुक्त को देना होगा 50 हजार रुपये मुआवजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें दिल्ली पुलिस को एक डॉक्टर को 50 हजार रुपये मुआवजा देने को कहा गया था

https://bharatexpress.com/india/delhi-high-court-upheld-nhrc-order-delhi-police-commissioner-will-have-to-pay-compensation-of-rs-50-thousand-478381

Written by गोपाल कृष्ण March 1, 2025 12:39 pm

दिल्ली हाई कोर्ट ने एनएचआरसी द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त को एफआईआर दर्ज न करने पर एक वरिष्ठ डॉक्टर को 50000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था. जस्टिस सचिन दत्ता ने यह आदेश दिया है. बतादें कि डॉक्टर ने पुलिस को कॉल किया कि उनके क्लिनिक में कुछ बदमाश इलाके में घुस आए है, जिसके बाद पुलिस क्लीनिक पहुची. क्लीनिक पहुचने पर जांच अधिकारी ने डॉक्टर से मुलाकात की और घटना के बारे में पूछताछ की.

डॉक्टर को 50 हजार रुपये का देना होगा मुआवजा

अगले दिन डॉक्टर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक शिकायत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ बदमाशों ने उनके क्लीनिक में अवैध रूप से घुसपैठ की और उनकी महिला कर्मचारी से दुर्व्यवहार किया. उन्होंने आगे कहा कि कॉल करने के बावजूद जांच अधिकारी कार्रवाई करने में विफल रहे. हालांकि दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कहा कि डॉक्टर ने कोई लिखित शिकायत देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते आईओ ने एफआईआर दर्ज नहीं किया. एनएचआरसी ने पुलिस कमिश्नर को एफआईआर दर्ज न करने के लिए डॉक्टर को 50000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने NHRC के आदेश को रखा बरकरार

अपने आदेश में एनएचआरसी ने उल्लेख किया कि चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ हिंसा एक गंभीर मामला है और दिल्ली मेडिकेयर सेवा कार्मिक और मेडिकेयर सेवा संस्थान अधिनियम 2008 के तहत एक संज्ञेय अपराध है. एनएचआरसी ने देखा कि आयुक्त का यह कथन कि याचिकाकर्ता शिकायत दर्ज नहीं करना चाहता था, सही था और विश्वास पैदा करने में विफल रहा. अदालत ने कहा कि पुलिस आयुक्त की मुआवजे के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए माना कि डॉक्टर के कथित बयान पर आयुक्त का भरोसा कि शिकायतकर्ता मामले को आगे बढ़ाने का इच्छुक नहीं था.

कोर्ट ने कही ये बात

आयुक्त ने शिकायतकर्ता के पते पर दौरे के बाद कथित रूप से तैयार की गई जांच पर भरोसा किया. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट एनएचआरसी के समक्ष रखी गई थी, हालांकि एनएचआरसी ने विवादित आदेश पारित करते समय इसकी अवहेलना की. हालांकि कि कोर्ट ने कहा कि इस तरह का दावा भ्रामक है, क्योंकि एनएचआरसी का आदेश कथित जांच किए जाने के बाद पारित किया गया था.

एनएचआरसी के निर्देशों का पालन करने के बजाए याचिकाकर्ता ने एनएचआरसी द्वारा विवादित आदेश पारित किए जाने के बाद की गई जांच का सहारा लिया, जो फिर से याचिककर्ता/पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता को 24 नवंबर 2021 की घटना के बाद किसी भी शिकायत को आगे बढ़ाने की शिकायतकर्ता की अनिच्छा के लिए जिम्मेदार ठहराता है.

-भारत एक्सप्रेस

Dainik Bhaskar

आयुष्मान में महिलाओं की सर्जरी की फोटोग्राफी:राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एमपी स्वास्थ्य विभाग को नोटिस; ACS-PS से मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट

गौरव शर्मा, भोपाल13 घंटे पहले

https://www.bhaskar.com/local/mp/news/notice-to-ps-acs-health-and-ayushman-ceo-134562236.html

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भास्कर एप की खबर पर एक्शन लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव संदीप ठाकुर और आयुष्मान सीईओ योगेश भरसट को नोटिस जारी किया है। सभी से 7 दिनों में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है।

दरअसल, 12 फरवरी को पब्लिश खबर में भास्कर ने बताया था कि मध्यप्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के सर्जरी पार्ट की तस्वीरें ली जाती हैं। इन्हें आयुष्मान के ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम(TMS) पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

आयुष्मान का क्लेम पास कराने के लिए इन फोटोज को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आयुष्मान के पोर्टल पर फोटोज अपलोड होने से पहले कम से कम 4-5 हाथों से गुजरती हैं। ऐसे में इनके सार्वजनिक होने का खतरा है। खासतौर पर महिला मरीजों के सर्जरी पार्ट की फोटो के साथ छेड़छाड़ हो सकती है।

मानवाधिकार आयोग ने नोटिस में क्या लिखा

मानवाधिकार आयोग ने आयुष्मान योजना का संचालन करने वाले अफसरों को फटकार लगाई है। आयोग ने कहा- योजना की आधिकारिक नीति में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसे अनिवार्य बताकर मध्यप्रदेश में महिला मरीजों के निजी अंगों की तस्वीरें अपलोड की जा रही हैं। यह बेहद परेशान करने वाला कृत्य है और मरीज की गोपनीयता और गरिमा का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह कृत्य न केवल अनैतिक बल्कि अवैध भी है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 (निजता का अधिकार) का उल्लंघन करता है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट ने इस कृत्य को उजागर किया है। इस अमानवीय प्रक्रिया को रोकने और जिम्मेदार लोगों पर तत्काल कार्रवाई करें।

आयोग ने प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार और आयुक्त, आयुष निदेशालय, मध्य प्रदेश को 7 दिन के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

हेल्पिंग ह्यूमन राइट फाउंडेशन ने की थी शिकायत

दरअसल, भास्कर की इस रिपोर्ट के बाद हेल्पिंग ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने मानवाधिकार आयोग को शिकायत की थी। उन्होंने शिकायत में कहा था कि बहुत पीड़ा और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आयुष्मान भारत योजना भोपाल में महिला रोगी के निजी अंगों की तस्वीर अपलोड की जा रही है।

मरीजों काे यह बताया जा रहा है कि यह आयुष्मान भारत की नीति के तहत है, जिसमें फोटो खींचना अनिवार्य है। इस क्रम में वे महिला रोगियों के निजी अंगों की तस्वीरें अपलोड की जा रही है, जबकि नीति में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। नीति में कहा गया है कि प्री-ऑथराइजेशन करते समय दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है।

12 फरवरी को पब्लिश भास्कर की खबर

आयुष्मान में ब्रेस्ट सर्जरी कराई तो उसका फोटो जरूरी:नियम पर लेडी डॉक्टर ने आपत्ति ली तो कर्मचारी बोले- क्लेम पास नहीं होगा

केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का फायदा लाखों मरीजों को मिल रहा है, लेकिन इसका एक नियम मरीजों की प्राइवेसी और आत्म सम्मान को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे ज्यादा खतरा महिला मरीजों के लिए है। दरअसल, इलाज की पुष्टि और क्लेम पास कराने के लिए मरीज के चेहरे समेत सर्जरी वाले पार्ट की फोटो ली जाती है। इन फोटोज को आयुष्मान पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इसके बाद केशलैस इलाज की सुविधा मिलती है।